

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वीरवार, 5 मई 2005/ वैशाख 15, 1927(शक)

संख्या : 91

सदस्य की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, उपायुक्त पुलिस, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश विधुड़ी को, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत दिनांक 4.5.2005 को मध्याह्न 12.00 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग, में नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी जगह से उसी दिन 12.15 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, 5th May 2005/15 Vaisakha 1927 (Saka)

No. 91

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt.

"I have the honour to inform you that Shri Ramesh Vidhuri Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at P.S. Parliament Street at 12.00 noon on 4.5.05.

He was released at 1215 hrs. from the same place and same date."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY